मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग <u>मंत्रालय</u> विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

कमांक-एफ-3-34/2013/32 ः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रांम निवेश अधिनियम,(संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अन्सूची क्रमांक ग्राम खसरा क्षेत्रफल विकास उपांतरण पश्चात् उपांतरित Sp. हेक्टेयर योजना में | भू-उपयोग में निर्दिष्ट भू-उपयोग 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. ग्राम 81/2, सार्वजनिक 7.879 वाणिज्यिक- पर्यटन संबंधी महगवा 81/3, हेक्टेयर एवं गतिविधियाँ हेतु । में से अर्धसार्वजनिक शर्त :- 1. प्रश्नाधीन भूमि का 5.919 अंतरण यदि पर्यटन विभाग हेक्टेयर द्वारा किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म / कम्पनी को किया जाता है, तो संबंधित के द्वारा विकास के पूर्व राजस्व विभाग से अनुमति ली जाना आवश्यक होगा । 2. प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान पहुँच मार्ग 10 मीटर को 18 मीटर चौड़ा कर

		विकसित करना होगा ।
योग–	5.919 ਵੇ0	

प्रस्तावित उपांतरण के ब्योरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयाविध के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपित्त / सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपित्तयां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्रिक्यद्वि (वर्षा नावलेकर) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग

Government of Madhya Pradesh Housing And Environment Department MINISTRY

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 7-9-13

No. F-3-34/2013/32 In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (No. 1 of 2012), The State Government hereby notify The proposal of following modifications for Public information, in the Jabalpur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely:-

SCHEDULE

	Village	Khasara No.	Area (in Hac)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Mahgavan	81/2, 81/3,	5.919 Hec out of 7.879 Hec	PSP	Commercial -having sub category as Tourist Promotion zon Conditions:- In case land in question is transferred to some other person/firm/Sociely company, then concerned shall the have to take prior permission from Revenue Department, before starting development work. 2. Existing 10.0 m. wide road upto the site shall be widened to 18.0 m.
			5.919 Hec.		. ,

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Jabalpur as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of Publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of Publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Housing and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

(Varsha Naolekar)

Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Housing And Environment Department